प्रेस विज्ञप्ति

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा केरल में परिवारों हेतु घरों के निर्माण/मरम्मत और नवीनीकरण के लिए रियायती ब्याज दर पर 200 करोड़ रुपये के पुनर्वित्त सहायता की घोषणा

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) ने केरल राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 3 लाख रुपये तक और शहरी क्षेत्रों में 6 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को राहत प्रदान करने हेतु प्राथमिक ऋणदाता संस्थान (पीएलआई) के माध्यम से घरों के निर्माण/मरम्मत और नवीनीकरण के लिए रियायती ब्याज दर पर 200 करोड़ रुपये के पुनर्वित्त सहायता की घोषणा की है।

वैयक्तिक आवास ऋण, जो दिनांक 01 अगस्त, 2018 को या उसके बाद और दिनांक 30 जून, 2019 तक केरल के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक ऋणदाता संस्थान (पीएलआई) द्वारा संवितरित किए गए हैं, इस सहायता के तहत कवर किए गए हैं।

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्राथमिक ऋणदाता संस्थान (पीएलआई) को दी जाने वाली पुनर्वित्त सहायता नीचे दी गई तालिका के अनुसार 7 वर्ष के नियत तथा वर्तमान में 4.93% प्रति वर्ष की निश्चित ब्याज दर पर उपलब्ध होगी तथा यह अंतिम लाभार्थियों से प्रभारित की जाने वाली ब्याज दर की सीमा के साथ होगी:

प्राथमिक ऋणदाता संस्थान	**ब्याज प्रभारण सीमा**
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	एमसीएलआर + 1.00%,
अन्य	8.43%

यह सहायता माननीय वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के तहत रा.आ.बैंक में स्थापित किफायती आवास निधि में से प्रदान की जाएगी।

अन्य जानकारी के लिए कृपया www.nhb.org.in का संदर्भ लें।